संख्या- 27/2016/792/35-1-2016-6/8(3)/2015

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दीर्घकालीन योजना प्रभाग,
राज्य नियोजन, राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊःदिनांकः 02 नवम्बर, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य इनोवेशन फण्ड एवं राज्य इनोवेशन सेल की स्थापना के संचालनार्थ वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में शासन के एजेण्डा बिन्दु वर्ष 2015-16 में सूत्र संख्या- 150 एक इनोवेशन सेल और स्टेट इनोवेशन फण्ड की स्थापना कर प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न नये विचारों को सहयोग देना तथा उन्हें आगे बढ़ाने हेतु रिप्लीकेट कराना सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में क्रमशः कार्यालय ज्ञाप संख्या-43/2015/1218/35-1-2015/2/1(29)/2015, दिनांक 07.12.2015, कार्यालय ज्ञाप संख्या-45/2015/1219/35-1-2015/2/1(29)/2015, दिनांक 07.12.2015 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-46/2015/1217/35-1-2015/2/1(29)/2015, दिनांक 07.12.2015 द्वारा राज्य इनोवेशन सेल की स्थापना, राज्य इनोवेशन कोष का वितरण तथा राज्य इनोवेशन कोष के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त को निर्गत किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार रूपये 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि अधोलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

(क) 1.लेखाशीर्षक-3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-आयोजनागत-
60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-03-इनोवेशन सेल की स्थापना-

(हजार रूपये में)

क्र0सं0	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	04-यात्रा व्यय	200
2	08-कार्यालय व्यय	300
3	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	300
4	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400
5	13-टेलीफोन पर व्यय	100

6	18-प्रकाशन	500
7	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	300
8	42-अन्य व्यय	400
9	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	200
10	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	200
11	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100
	योग-	**3000**

2. लेखाशीर्षक-3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-आयोजनागत-
60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-04-राज्य इनोवेशन फण्ड
42-अन्य व्यय 90000

3. लेखाशीर्षक-3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-आयोजनागत-
60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-05-इनोवेशन हेतु पुरस्कार-
42-अन्य व्यय 7000

योग- **100000**

(रूपये दस करोड़ मात्र)

(ख) (1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग में गठित सेल के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-24/2016/524/35-1-2016-6/8(3)/2015, दिनांक 01.09.2016 के अनुसार पृथक से राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर रक्षित की जायेगी तथा इसका संचालन प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित विशेष सचिव तथा राज्य इनोवेशन सेल के निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित की जायेगी।

(3) उक्त धनराशि मुख्य रूप से इनोवेशन परियोजनाओं के वित्त पोषण/ परियोजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन/सम्मेलन का आयोजन/पुरस्कार वितरण /प्रशासनिक एवं सेल के कार्यालय व्यय/मानदेय/बैठक, यात्रा-भत्ता, निरीक्षण में अनुश्रवण आदि में व्यय किया जायेगा।

(4) नियोजन विभाग में वित्त नियंत्रक वर्तमान में तैनात है तथा इनोवेशन फण्ड की धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के तहत की जानी होगी। अतः वित्त नियंत्रक की भी सहमति आवश्यक होगी।

(5) उक्त रूप से स्वीकृत/आहरित उपलब्ध धनराशि को कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/शासनादेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा इनोवेशन के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं नियमावाली का भी अनुपालन किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- ''3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- आयोजनागत-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्याः 27/2016/792(1)/35-1-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
4- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, नियोजन विभाग।
6- प्रमुख स्टाफ आफिसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त सदस्य राज्य इनोवेशन परिषद, उ0प्र0।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।